G. S. R NO. 122 dt. 6/10/2021 BEGD NO. D. L (N) 04/0007/2003\_05



सी.जी.-डी.एल.-सा.-25102021-230692 CG-DL-W-25102021-230692

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 34]

नई दिल्ली, अक्तूबर 10 - अक्तूबर 16, 2021, शनिवार/ आश्विन 18- आश्विन 24, 1943

No. 34]

NEW DELHI, OCTOBER 10 - OCTOBER 16, 2021, SATURDAY/ ASVINA 18 - ASVINA 24, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

### गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

सा.का.नि.114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अनुसचिवीय (समूह -ख पद) भर्ती नियम 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं इसकी वाहरी इकाइयो में सहायक, (समूह ख पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

5601 GI/2021

eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Officers holding the post of Stenographer under Central Government,-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years regular service in the Stenographers Grade in level -6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department.
- **Note 1**: The departmental officers in the feeder grade who are in Direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

- 3. Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation Member;
- 4. Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.

[F. No. SM/02/21/2018] ANITA DHADRA, Under Secy.

## नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.िन. 122.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानिचेत्रण संगठन (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनका संबंध सांख्यिकी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानिचेत्रण संगठन में सांख्यिकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, सांख्यिकी सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है ।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सांख्यिकी	2* (2021)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-	लागू नहीं होता
सहायक	*कार्यभार के आधार पर	समूह 'ग', अराजपत्रित,	5 (29,200 - 92,300	
15	परिवर्तन किया जा सकता है ।	अननुसचिवीय	रु.)	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 25 वर्ष के बीच	आवश्यक अर्हताएं :	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मूल विषय के रूप में सांख्यिकी या गणित या			

किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए आय 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों अभ्यर्थियों की दशा में आय 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश. मिजोरम. नागालैंड, मणिप्र, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और केन्द्र शासित प्रदेश लहाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

## अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री।

## वांछनीय अर्हताएं :

टिप्पण 1 : उम्मीदवारों के मामले में अन्यथा सअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताओं को, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकता है तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

कर्मचारी अर्हताएं आयोग विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

<b>अनुभव :</b> डाटा के संग्रह,
संकलन, संगणना और विश्लेषण
में एक वर्ष का अनुभव ।
10. PAT

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी और अभ्यर्थियों की दशा में तब

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह - 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है
	1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक	

मानचित्रण संगठन	- अध्यक्ष;
2. उप निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक म	ानचित्रण संगठन- सदस्य;
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ कार्यालय का प्रध थिमैटिक मानचित्रण संगठन	धान, राष्ट्रीय एटलस और - सदस्य।

[फा. सं. एसएम/ 02/02/2020]

अनीता धादरा, अवर सचिव

#### New Delhi, the 6th October, 2021

- G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, (Group 'C' and 'D' post) Recruitment Rules, 1988, in so far as it relates to the post of Statistical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Assistant in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Statistical Assistant (Group 'C' Post ) Recruitment Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. —The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/Non -Selection post	Age limits for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Statistical Assistant	2* (2021)  * Subject to variation dependent	General Central Service, Group-'C',	Level – 5. (Rs.29,200- 92,300)	Not Applicable.	Between 18 years and 25 years.  (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the

on workload	Non-Gazetted, Non-Ministerial	age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)
	*9	Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification:	Not Applicable	Two years	Direct Recruitment
Bachelor's Degree in Statistics or Mathematics or Economics as core subject from a recognised university.			
Desirable Qualification:	a		
<b>Experience:</b> one year experience in collection, compilation, computation and analysis of data.			a a
<b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2: The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, if at any stage of selection the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by Promotion or Deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with UPSC is not necessary
	(i)Head of Department or Joint Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation -Chairman;	
	(ii)Deputy Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation -Member;	
	(iii)Senior Administrative Officer/ Head of Office, National Atlas & Thematic Mapping Organisation - Member.	(2)

[F. No. SM/02/02/2020]

ANITA DHADRA, Under Secy.

# वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2021

सा.का.िन. 123.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसंधान अधिकारी (भर्ती) नियम, 2012 का अधिक्रान्त करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, अनुसंधान अधिकारी भर्ती नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति-
  - (क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
  - (ख). जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है! उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।